रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 240] नई दिल्ली, बुधवार, मई 27, 1992/ज्येष्ठ 6, 1914
No. 240] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 27, 1992/JYAISTHA 6, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 1992

सा.का.नि. 559 (अ) : —केन्द्रीय सरकार, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 (1958 का 41) की धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1959 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 1991 है।

(2) ये 1 मार्च, 1991 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश नियम, 1959 के नियम 4 के स्पष्टीकरण में "परन्तु उपभोग किए गए जल और विद्युत के मद्दे प्रभारों (बीस हजार रुपए प्रति वर्ष से अधिक) को अपवर्जित करते हुए है जो न्यायाधीश स्वयं के द्वारा भुगता जाएगा" शब्दों और कोष्ठक के स्थान पर "परन्तु प्रति वर्ष बीस हजार रुपयों से अधिक का उपभोग किया गया जल और विद्युत प्रभार को अपवर्जित करते हुए है और ऐसे प्रभारों की आधिक्य रकम न्यायाधीश स्वयं के द्वारा भुगती जाएगी" शब्द रखे जाएंगे।

स्पष्टीकरण—भूतलक्षी प्रभाव इस कारण से दिया जा रहा है कि स्थानीय निकायों ने विद्युत /जल प्रभार 1 मार्च, 1991 के प्रभाव से बढ़ा दिया है और केन्द्रीय सरकार ने उक्त तारीख से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को फायदा देने का निर्णय लिया है और यह निर्णय उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 (1958 का 41) धारा 23 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसरण में लिया गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी के हित पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

[फा.सं. एल-11025/26/91-न्याय]
वी. विश्वनाथन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : — दिनांक 4-8-1959 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 935—भारत के राजपत्र भाग II खंड 3 उपखंड (i)—पृष्ठ 1161 (गृह मंत्रालय संख्या 15/6/58—न्यायायिक 1 के तहत प्रकाशित तथा तत्-पश्चात् निम्न के द्वारा संशोधित प्रमुख नियम : —

1. सा.का.नि. संख्या 1366, दिनांक 18-12-1974
2. सा.का.नि. संख्या 634, दिनांक 22-4-1976
3. सा.का.नि. संख्या 854, दिनांक 1-8-1980
4. सा.का.नि. संख्या 1176 (ड), दिनांक 4-11-1986
5. सा.का.नि. संख्या 680 (ड), दिनांक 12-11-1992

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Justice)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 1992

G.S.R. 559(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of Section 24 of the Supreme Court Judges (Conditions of Service) Act, 1958 (41 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Supreme Court Judges Rules, 1959, namely :—

(1) These rules may be called the Supreme Court Judges (Amendment) Rules, 1992.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of March, 1991.

2. In the Supreme Court Judges Rules, 1959, in rule 4, in the explanation, for the words and brackets "but excludes the charges on account of water and electricity consumed (in excess of rupees twenty thousand per annum) which shall be borne by the judge himself", the words "but excludes the charges on account of water and electricity consumed in excess of rupees twenty thousand per annum, and the excessiev amount of such charges shall be borne by the Judge himself" shall be substituted.

Explanation : The retrospective effect is being given for the reason that the charges on account of Electricity|Water were raised by the local bodies with effect from the 1st day of March, 1991 and the Central Government has taken a decision to give benefit to the Supreme Court judges from that date and this decision has been taken in accordance with the provisions of sub-section (4) of Section 23 of the Supreme Court Judges (Conditions of Service) Act, 1958 (41 of 1958). It is certified that by giving retrospective effect nobody's interest is likely to be adversely affected.

[F. No. L-11025|26|91-Jus]
V. VISHWANATHAN, Jt. Secy.

Foot Notes : Principal Rules published vide Notification No. GSR 935 dated 4-8-1959—Gazette of India Part II—Section 3—Sub-section (i)—page 1161 (Ministry of Home Affairs No. 15|6|58-Judl. I) and subsequently amended by :—

1. GSR No. 1366 dated 18-12-1974.
2. GSR No. 634 dated 22-4-1976.
3. GSR No. 854 dated 1-8-1980.
4. GSR No. 1176 (E) dated 4-11-1986.
5. GSR No. 680(E) dated 12-11-1991.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992